...म संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गइ कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

न्यायालय, भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, पाकुड़।

लगान धार्य वाद सं0–13/2022–23

–: आदेश :–

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, महेशपुर के पत्रांक–240/रा0, दिनांक–02.03.2023 द्वारा आवेदिका फातेमा बीबी, पति–मो0 नाजिमुद्दीन मंडल, सा0–कानीझाड़ा, थाना–महेशपुर का अंचल महेशपुर के अन्तर्गत मौजा–चापतुड़ा थाना नं0–288, जमाबंदी सं0–103, दाग नं0–234 में निबंधित केवाला सं0–4659 दिनांक–26.10.1990 द्वारा रकवा–00बी0–06क0–00धूर एवं केवाला सं0–4658 दिनांक–26.10.1990 द्वारा रकवा–00बी0–07क0–10धूर कुल रकवा–00बी0–13क0–10धूर प्राप्त भूमि का लगान धार्य हेतु आवेदन प्रपत्र "एम0" में चार प्रति में प्रतिवेदन एवं भूमि दस्तावेज की छायाप्रति के साथ लगान धार्य अभिलेख सं0–02/22–23 अनुशंसा सहित प्राप्त है। प्रपत्र एम0 एवं अभिलेख में दर्ज प्रतिवेदन के अनुसार मौजा–चापतुड़ा के खाता सं0–103 दाग नं0–234 रकवा–24बी0–04क0–00धूर किस्म बाड़ी दोयम खतियान में राम नारायण सिंह दिगार के नाम से दर्ज है। आवेदिका को आवेदित दाग का कुल रकवा में से 00बी0–06क0–00धूर निबंधित केवाला सं0–4659/26.10.1990 एवं 00बी0–07क0– 10धूर भूमि निबंधित केवाला सं0–4658/26.10.1990 के माध्यम से प्राप्त है एवं इसपर दखल स्वरूप आवेदिका का आम बगान है। आवेदित दाग का खतियान लगान रहित है। राजस्व वृद्धि को दृष्टिपथ में रखते हुए आवेदित भूमि का वार्षिक लगान प्रतिवर्ष 10 (दस) रूपये प्रति बीघा अलावे सेस की दर से आवेदिका का कुल रकवा–00बी0–13क0–10धूर भूमि के लिए सलाना 7.00 (सात) रूपये के अलावे सेस की दर से लगान धार्य की अनुशंसा की गई है।

इस कार्यालय द्वारा 16 आना रैयत मौजा–चापतुड़ा, जमाबंदी नं0–103 को नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। 16 आना रैयत से नोटिस प्राप्ति के बाद किसी भी व्यक्ति से कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है।

Pa

अतः अंचल अधिकारी, महेशपुर की अनुशंसा के आधार पर राजस्व आ...
में वृद्धि के उद्धेश्य से आवेदित दाग नं0–234 में आवेदिका फातेमा बीबी पति मो0 नाजिमुद्दीन मंडल, कानीझाड़ा, पो0–धर्मखाँपाड़ा, थाना–महेशपुर के नाम से मौजा–चापतुड़ा 288 के दाग नं0–234, जमाबंदी नं0–103 में कुल रकबा–00बी0–13क0–10धूर भूमि का लगान धार्य 8.00 (आठ) रूपये वार्षिक अलावे सेस के दर से करने की स्वीकृति दी जाती है। लगान जमीन्दारी उन्मूलन की तिथि से वसूलनीय होगा। प्रपत्र एम0 में हस्ताक्षर कर दिया गया है। प्रपत्र एम0 एवं आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, महेशपुर को अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भेजे।

अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित,

31.5.23

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
पाकुड़।

31.5.23

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
पाकुड़।

Digitally signed by HARI BANSH PANDIT
Date: 2023.06.24 16:06:35 +05:30
Location: 10.93.53.11